इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 5 | दिसम्बर, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....3
आर्थिक संवेष्टन.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

कतिपय शर्तों के अधीन एफपीआई का यथा एफडीआई वर्गीकरण संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्वर्गीकरण के अनुसार, एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा किया गया निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा बशर्ते कि निवेश, पूर्णत: डाइलुटेड आधार पर, कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 10% से कम हो। इस बदलाव हेतु जारी परिचालनात्मक ढांचे में निर्धारित किया गया है कि संबंधित एफपीआई को सरकार से आवश्यक अनुमोदन तथा संबंधित भारतीय निवेशिती कंपनी की सहमति लेनी होगी। वर्गीकरण लागू करने हेतु, ऐसे एफपीआई द्वारा धारित कुल निवेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखतों की भुगतान व रिपोर्टिंग विधि) विनियमावली, 2019 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग के पश्चात्, एफपीआई द्वारा अपने अभिरक्षक से यह अनुरोध अवश्य किया जाना चाहिए कि भारतीय कंपनी के इक्विटी निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश धारित करने हेतु रखे गए इसके डिमेट खाते से एफडीआई धारित करने हेतु रखे इसके डिमेट खाते में अंतरित कर दे। इस तरह के वर्गीकरण केवल उन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं जो एफडीआई हेतु निषिद्ध नहीं हैं।

ग्रीनवाशिंग के न्यूनीकरण हेतु आईएफएससीए द्वारा सिद्धांत जारी

पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निवेशकों हेतु पर्याप्त प्रकटन के हित में ग्रीनवाशिंग के जोखिम को कम करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने आईएफएससी में ईएसजी लेबल वाली कर्ज प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को निम्न सिद्धांतों का पालन करने को कहा है:

- लेबल के अनुकूल कार्य करना - भ्रामक लेबल तथा शब्दावली का उपयोग न करना
- स्क्रीन द ग्रीन - परियोजना चयन व मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया में पारदर्शिता
- कथनी को कर के दिखाना - आगम राशि के उपयोग का प्रबंधन व ट्रैकिंग
- समग्र प्रभाव - नकारात्मक बाह्य कारकों का मात्राकरण
- सतर्कता बरतना - निगरानी व प्रकटन

म्यूचुअल फंड्स के रेपो संव्यवहारों हेतु सेबी द्वारा नवीन मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी

समस्त मुद्रा बाज़ार व कर्ज लिखतों की मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता लाने तथा भिन्न मूल्यांकन प्रक्रियाओं से जनित अवांछित विनियामक आर्बिट्राज की चिंताओं को दूर करने हेतु सेबी ने, म्यूचुअल फंड्स द्वारा 30 दिनों तक की अवधि के पुनर्क्रय या रेपो संव्यवहारों (त्रिपक्षीय संव्यवहारों सहित) हेतु नवीन मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी किया है। तदनुसार, 1 जनवरी 2025 से ऐसे संव्यवहारों में प्रयुक्त प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मार्क-टू-मार्केट आधार पर किया जाएगा।

साथ ही, सभी रेपो संव्यवहारों (एक दिवसीय रेपो के अलावा) तथा मुद्रा बाज़ार व कर्ज लिखतों का मूल्यांकन, मूल्यांकन एजेंसियों से कराया जाएगा। चल दर वाली प्रतिभूतियों सहित, समस्त मुद्रा बाज़ार व कर्ज लिखतों का मूल्यांकन, मूल्यांकन एजेंसियों से लिए गए प्रतिभूति स्तर के औसत पर किया जाएगा। यदि नवीन प्रतिभूति हेतु इनकी उपलब्धता न हो तो ऐसी प्रतिभूति का मूल्यांकन आवंटन/क्रय तिथि को क्रय यील्ड/मूल्य पर होगा।

भारतीय म्यूचुअल फंड, भारतीय प्रतिभूतियों में सीमित एक्सपोजर वाली विदेशी निधियों में निवेश कर सकते हैं: सेबी

भारतीय म्यूचुअल फंड अब उन विदेशी म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) या यूनिट ट्रस्ट्स (यूटी) में निवेश कर सकते हैं जो अपनी आस्तियों के एक हिस्से का भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हों। निवेश में सुगमता व सरलता लाने हेतु सेबी ने ऐसे निवेशों की अनुमति दे दी है।

नए तथा उत्तरवर्ती निवेश करते समय, भारतीय म्यूचुअल फंड योजनाएँ सुनिश्चित करेंगी कि अंतर्निहित विदेशी एमएफ/यूटी का भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश 25% से अधिक न हो। जहां निवेश 25% से अधिक है, वहाँ भारतीय म्यूचुअल फंड योजना को, ऐसे उल्लंघन की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की तिथि से छह माह का प्रेक्षण समय दिया जाएगा ताकि आस्तियों के पुनर्संतुलन में मदद मिल सके। अगर दी गई समयावधि में पुनर्संतुलन नहीं हो जाता तो प्रेक्षण अवधि पूरा होने के अगले छ: माह में भारतीय म्यूचुअल फंड योजना को, इस निवेश का परिसमापन कर देना होगा।

पारदर्शिता तथा निवेशक सुरक्षा बढ़ाने हेतु सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड प्रकटनों में संशोधन

निवेशक सुरक्षा बढ़ाने तथा म्यूचुअल फंड प्रकटनों में अधिक स्पष्टता लाने हेतु, म्यूचुअल फंड 5 दिसंबर 2024 से, सेबी के संशोधित प्रकटन मानदंडों का पालन करेंगे। तदनुसार, खर्चों के प्रकटन में, योजना के कुल आवर्ती व्ययों के साथ, प्रत्यक्ष एवं नियमित योजनाओं हेतु कुल आवर्ती व्ययों के लिए अलग-अलग प्रकटन करना होगा। अलग-अलग प्रकटन प्रत्यक्ष एवं नियमित म्यूचुअल फंड योजनाओं में व्ययों, अर्द्ध वार्षिक प्रतिफल, वार्षिकीकृत यील्ड हेतु लागू किया गया है। मौजूदा रिस्क-ओ-मीटर हेतु एक नई कलर-कोडेड प्रणाली लाई गई है। व्ययों, व्यय अनुपात, प्रतिफल और/या योजना के यील्ड के लिए, नियमित व प्रत्यक्ष दोनों योजनाओं में अलग-अलग प्रकटन किया जाएगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड में एफएआर के जरिए निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति

अनिवासी अब अपने निवेश पोर्टफोलियो में 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड को शामिल कर सकते हैं क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्णत: असेसिबल माध्यम (Fully Accessible Route or एफएआर) से ऐसे निवेश की अनुमति दे दी है। पात्र निवेशक जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, अनिवासी भारतीय, भारत के ओवरसीज नागरिक तथा अन्य निकाय शामिल हैं; को कर्ज विनियमों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति है और वे बिना किसी उच्चतम निवेश सीमा के निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों (जिनमें अब 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड को शामिल कर दिया गया है) में निवेश कर सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तार

10 फरवरी 2025 से, अधिकृत डीलर (एडी) उनके द्वारा की गई सभी अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा संविदाओं को भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट करेंगे। संव्यवहार डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का विस्तार कर दिया है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा नकद, विदेशी मुद्रा टॉम तथा विदेशी मुद्रा स्पॉट में रुपए या अन्य तरीके से किए गए संव्यवहार टीआर को रिपोर्ट किए जाएंगे।

मुद्रा-परिवर्तन संव्यवहारों को इन निदेशों के बाहर रखा गया है। संव्यवहारों का विदेशी प्रतिपक्षकारों तथा टीआर में ग्राहक संव्यवहारों से मिलान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि विदेशी प्रतिपक्षकारों तथा ग्राहकों द्वारा संव्यवहार विवरणों को रिपोर्ट/पुष्ट करना अपेक्षित नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी मानदंडों को अद्यतन कर संशोधित धन-शोधन नियमों के अनुरूप बनाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को अद्यतन कर संशोधित धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) नियमों में किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाया गया है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) - मास्टर निदेश, 2016 में संशोधनों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) स्तर पर ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रकार, एक नयी सीडीडी प्रक्रिया में किसी आरई के मौजूदा केवाईसी अनुपालित ग्राहक को अन्य खाता खोलने अथवा उसी आरई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा लेते समय पहचान हेतु नयी सीडीडी प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी।

इसके साथ, आरई को किसी ग्राहक से कोई अतिरिक्त या अद्यतन की हुई जानकारी मिलने पर, इसे सात दिनों अथवा भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) को प्रेषित किया जाएगा।

विनियामक के कथन

बैंक बोर्ड परिवर्तनकारी अभिशासन अपनाएं, जोखिमों के प्रति सतर्क रहें: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

निजी क्षेत्र बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने परिवर्तनकारी अभिशासन का जिक्र किया तथा स्थायित्व के साथ विकास एवं संधारणीयता के साथ लाभप्रदता को उत्तम अभिशासन का मूल सिद्धांत बताया। गवर्नर महोदय ने संभावित चुनौतियों को पहचानने तथा उनका सामना करने में बोर्ड द्वारा अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने बल देकर कहा कि भारतीय बैंकों के बोर्ड उनके कारोबारी मॉडल में संक्रेंद्रण की स्थिति बनने के प्रति सतर्क रहें।

डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी का 10वां हिस्सा: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

'भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी, उत्पादकता तथा आर्थिक विकास' पर आर्थिक व नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल पात्रा ने कहा कि भारत डिजिटल क्रान्ति के मुहाने पर खड़ा है तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी डिजिटल भुगतानों में गति ला रही है। आकलनों के अनुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था इस समय भारत की जीडीपी का 10वां हिस्सा है। विगत दशक में देखी गई वृद्धि दर को देखते हुए, 2026 तक यह जीडीपी का 5वां हिस्सा होगी।

डॉ पात्रा का कहना था कि भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जीवंत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र व बढ़ती युवा आबादी जिसमें सबसे बड़ी कृत्रिम मेधा (एआई) प्रतिभा का आधार है, के बूते विकास के नए रास्ते पर चलने तथा मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने की अद्वितीय स्थिति में है।

हितधारकों के साथ स्पष्ट संप्रेषण जारी रखने तथा पर्यवेक्षी प्रक्रिया अपनाने के साथ समग्र दृष्टिकोण जोखिम न्यूनीकरण तथा वित्तीय नवोन्मेष में संतुलन लाने का रहा है। उन्होंने बताया कि पाँच नीतिगत प्राथमिकताएँ जिनमें डिजिटल वित्त तथा समावेशन, डिजिटल लोक अवसंरचना, ग्राहक संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा, संधारणीय वित्त और वैश्विक समेकन व सहयोग शामिल हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों को अग्रसर करते हैं।

एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करते हैं, औपचारीकरण को प्राथमिकता देकर वे औपचारिक ऋण ले सकते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने उद्यमिता को प्रोत्साहित कर तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र की प्रशंसा की। तथापि उन्होंने यह भी कहा कि, इसके बावजूद इस क्षेत्र को समय पर तथा पर्याप्त औपचारिक ऋण हासिल करने में अक्सर कठिनाई होती है। विनियामक नीतियों तथा सरकारी योजनाओं द्वारा निर्मित अनुकूल वातावरण के होते हुए भी जारी इस समस्या के समाधान हेतु उप गवर्नर महोदय ने एमएसएमई के लिए चार सुझाव दिए ताकि उनमें लोग विश्वास करें तथा ऋणदाताओं का उन पर अधिक ध्यान जाए।

प्रथमत:, एमएसएमई औपचारीकरण को वरीयता दें, दूसरा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण उत्पादों के सावधानीपूर्वक चयन के जरिए वे उच्चतर ऋण अनुशासन अपनाएं। तीसरा सुझाव यह था कि एमएसएमई को अपनी परिचालन व वित्तीय प्रबंधन कुशलताओं को मजबूत करने हेतु क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। आखिर में, उन्हें TReDS का उपयोग करना चाहिए जो बड़े क्रेताओं को जारी बीजकों की भुनाई कर कार्यशील पूंजी हासिल करने हेतु मंच उपलब्ध कराता है।

केंद्रीय बैंकर 'उपयुक्ततम संप्रेषण' हासिल करने की पूरी कोशिश करें: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने 90वें वर्ष पर आयोजित, दक्षिणी विश्व में केंद्रीय बैंकरों के उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ माइकल देबब्रत पात्रा ने यह कहते हुए कि अत्यधिक संप्रेषण से संकेत समझने की समस्या आ सकती है जबकि अत्यल्प संप्रेषण बाज़ारों को केवल अनुमान लगाते रहने की स्थिति में रख सकता है, उपयुक्ततम संप्रेषण के महत्व पर बल दिया। यह जोड़ते हुए कि Explanation (व्याख्या), Engagement (जुड़ाव) तथा Education (शिक्षा) महामारी के दौर में संप्रेषण के तीन 'E' बन गए, डॉ पात्रा ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति का संप्रेषण देश विशेष के हितधारकों की विविध तथा सख्त मांगों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संतुलत करने हेतु निरंतर बेहतरी पर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक प्रणालियों के अनुरूप डेटा अनलिटिक्स इकोसिस्टम तैयार कर रहा है: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

दक्षिणी विश्व में केंद्रीय बैंकरों के उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन में अपनी शुरुआती टिप्पणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने बताया कि शीर्ष बैंक अपने पर्यवेक्षी कार्यों में सहायता हेतु एक मजबूत डेटा अनलिटिक्स इकोसिस्टम तैयार करने में लगा है। अग्रदर्शी तथा चुस्त दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक जोखिम केंद्रित पर्यवेक्षण का वैश्विक मॉडल स्थापित करने को समर्पित है जो सुदृढ़ जोखिम तलाश एवं अनुपालन की सुदृढ़ संस्कृति पर ज़ोर देता है तथा 'थ्रू द साइकल' जोखिम आकलन ढांचे का निर्माण करता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, अक्तूबर 2024 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- मुख्यत: कुछ वनस्पतियों, तेलों तथा वसा में मुद्रास्फीति के चलते अक्तूबर 2024 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ कर 6.2% हो गई।
- अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान भारत के वस्तु निर्यात में वर्षानुवर्ष आधार पर 3.2% की अल्प वृद्धि हुई।
- मजबूत घरेलू मांग के चलते भारत का वस्तु आयात अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान वर्षानुवर्ष 5.8% बढ़ गया।
- अप्रैल-अक्तूबर 2024 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 149.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में बढ़ कर 164.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- अप्रैल तथा अक्तूबर 2024 के बीच एफपीआई अंतर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 18.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से घट कर 10.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।
- निवल एफडीआई अंतर्वाह वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही के 10.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर वित्त वर्ष 25 की संगत तिमाही में 14.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो वर्षानुवर्ष 37.6% की वृद्धि है।
- सितंबर 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 9.5 लाख नए सदस्य जोड़े।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 नवंबर, 2024 के दिन करोड रुपए	29 नवंबर, 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5560661	658091	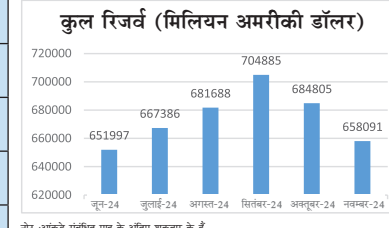
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4806616	568852	
1.2 सोना	565949	66979	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152152	18007	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	35945	4254	

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 29 नवंबर 2024 एफसी एनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें-दिसंबर 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	4.57
जीबीपी	4.7
यूरो	3.165
जापानी येन	0.228
कनाडाई डॉलर	3.7800
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	0.955867

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	4.25
स्वीडिस क्रोन	2.639
सिंगापुर डॉलर	2.9033
हांगकांग डॉलर	3.63996
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	2.7870

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ग्रीनवाशिंग

ग्रीनवाशिंग का अर्थ किसी उत्पाद, सेवा अथवा व्यापारिक परिचालन के विषय में मिथ्या, भ्रामक, निराधार या अन्यथा अपूर्ण दावे करने से है। इसमें संधारणीयता के दावों से संबंधित जानकारी छिपाने, छोड़ देने या गुप्त रखने जैसी प्रथाएँ तथा ऐसे शब्दों, लेबल, संकेतों व बिंबों का उपयोग भी शामिल है जो सकारात्मक पर्यावरणीय पहलुओं पर ज़ोर देते हों एवं नुकसानप्रद लक्षणों को सामने न लाते हों या छिपाते हों।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मार्क टू मार्केट

मार्क टू मार्केट वह विधि है जिसमें आवधिक उतार-चढ़ाव हुआ करने वाले खातों अर्थात आस्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य का मापन किया जा सके। वित्तीय बाज़ारों में इस विधि का उपयोग फ्यूचर्स तथा म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेशों के वर्तमान व उचित मूल्य को दर्शाने तथा मौजूदा बाज़ार दशाओं को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी या संस्था की वर्तमान वित्तीय स्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर 2024 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रशिक्षकों हेतु कार्यक्रम	9-11 दिसंबर 2024	वर्चुअल
तुलन पत्र अध्ययन एवं अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	10-11 दिसंबर 2024	आईआईबीएफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, साउथ जोन, चेन्नई
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लेखा परीक्षकों हेतु कार्यक्रम	10-11 दिसंबर 2024	वर्चुअल
बैंकों तथा अन्य विनियमित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	10-12 दिसंबर 2024	
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	11-12 दिसंबर 2024	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई
बैंकों में जमाराशि जुटाने की चुनौतियों हेतु वांछित कौशलों पर कार्यक्रम	12-13 दिसंबर 2024	वर्चुअल
विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	17-19 दिसंबर 2024	
विभिन्न वसूली रणनीतियों पर कार्यक्रम	18-19 दिसंबर 2024	
बैंकों/वित्तीय संस्थानों में जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	18-20 दिसंबर 2024	
बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	20-21 दिसंबर 2024	
केवाईसी/एएमएल/सीएफटी पर कार्यक्रम	23-24 दिसंबर 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा 'अपाबी सम्मेलन 2024' का आयोजन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) ने 14 नवंबर 2024 को 21वें एशियन-पैसिफिक असोसियेशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स (अपाबी) सम्मेलन, 2024 का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय "पैराडाइम शिफ्ट इन बैंकिंग - मूविंग टूवर्ड्स अ रिजिलिएंट, इंक्लूसिव, एंड सस्टेनेबल मॉडल" था। सम्मेलन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के कालेज ऑफ सुपरवाइजर्स के निदेशक डॉ रबि नारायण मिश्रा ने 39वां सर पुरुषोत्तम मेमोरियल व्याख्यान दिया। सम्मेलन में वरिष्ठ बैंकर उपस्थित थे तथा उपस्थित लोगों ने इस की भरपूर प्रशंसा की।

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/20 क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/school/soms/credittransfer

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मिलेगी।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी iibf.org.in पर मौजूद है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

बाजार की खबरें

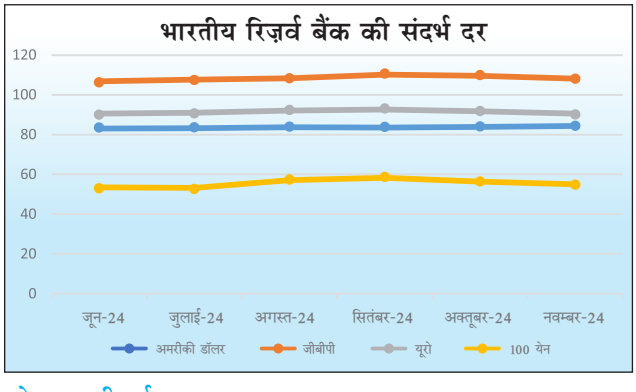

स्रोत: एफबीआईएल

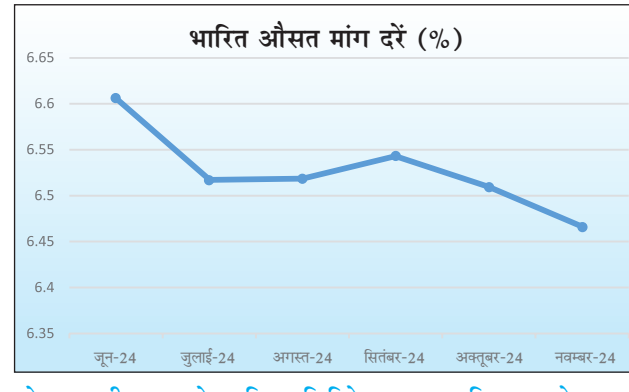

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

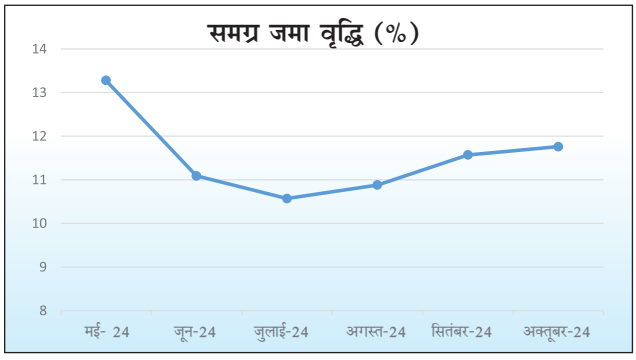

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवंबर, 2024

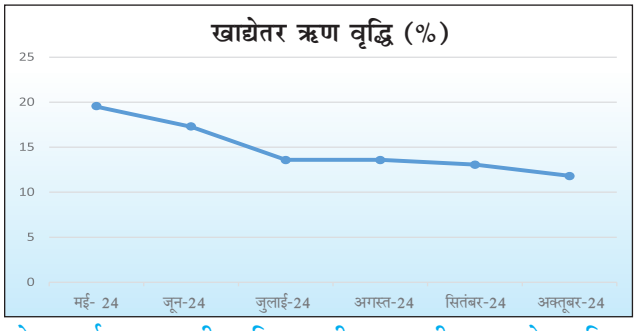

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवंबर, 2024

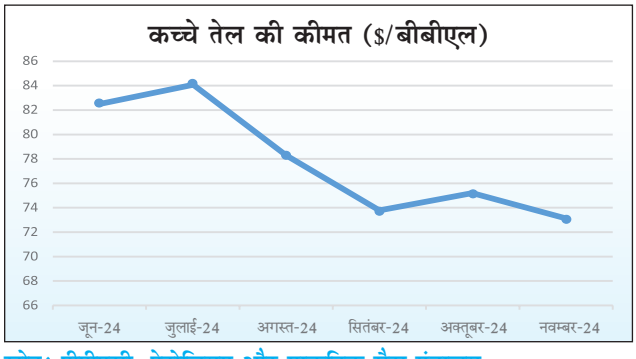

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

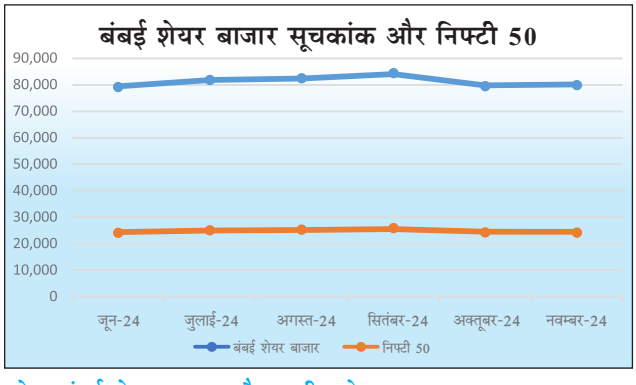

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

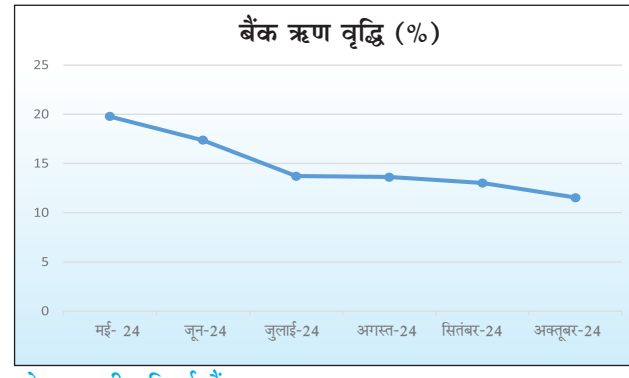

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

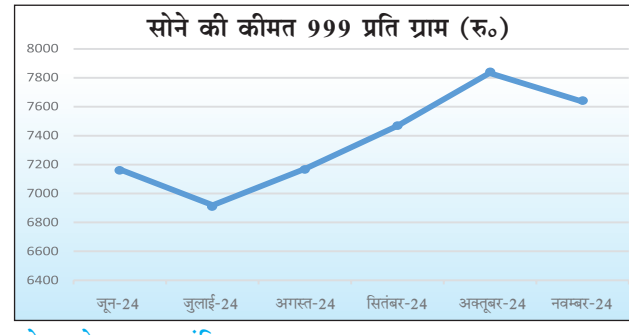

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in